न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/236

1. सुरेन्द्र कुमार बालिग
2. नरेन्द्र कृष्ण बालिग
3. अरविन्द कृष्ण बालिग
4. डा0 बृजराज बालिग
5. राजेन्द्र कृष्ण बालिग पिसरान विजयकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासीगण 224 टिपटा कोटा ।
6. श्रीमती सावित्री आयु 65 वर्ष पत्नी विजयनारायण पुत्री श्री श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी पाटनपोल भैरूपाडा कोटा ।
7. श्रीमती सुशीला शर्मा आयु 50 वर्ष पत्नी श्री बनवारी लाल पुत्री श्री श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी छावनी एकमीनार मस्जिद के पास कोटा ।
8. लोकेश कुमार आयु 45 वर्ष पुत्र श्री श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 1–ए– कोटडी कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. गोपाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री देवलाल जाति गुर्जर निवासी बडून्दा ।
2. श्रीमती चाहन्या बाई आयु 45 वर्ष बेवा श्योपाल ।
3. श्रीमती इन्द्रा बाई आयु 30 वर्ष पत्नी श्री कल्याण जाति गुर्जर निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान पुत्री श्योपाल ।
4. नारायण आयु 21 वर्ष पुत्र श्योपाल बडून्दा ।
5. मदन आयु 18 वर्ष आत्मज श्योपाल निवासी बडून्दा ।
6. उद्दा आयु 45 वर्ष आत्मज श्री देवलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बडून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
7. माधो आयु 42 वर्ष आत्मज श्री देवलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बडून्दा ।
8. बृजमोहन आयु 40 वर्ष आत्मज श्री देवलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बडून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
9. रामनिवास आयु 34 वर्ष आत्मज श्री देवलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बडून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
10. गोविन्द लाल आयु 31 वर्ष आत्मज श्री देवलाल जाति गुर्जर निवासी बडून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
11. उच्छब बाई आयु 30 वर्ष पत्नी केसरी लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिंगोला तहसील मांगरोल जिला बारां ।
12. रामनारायण आयु 47 वर्ष पुत्र श्री सेवा जाति गुर्जर निवासी बडून्दा ।
13. श्रीमती प्रेम बाई आयु 40 वर्ष विधवा श्री सूरजमल जाति गुर्जर निवासी बडून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

14. मुकेश कुमार आयु 22 वर्ष दत्तक पुत्र श्री सूरजमल जाति गुर्जर निवासी बडून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
15. नन्दकिशोर आयु 38 वर्ष
16. राधेश्याम आयु 35 वर्ष
17. श्रीमती प्रेम बाई आयु 40 वर्ष (नाम तर्क) ।
18. श्रीमती बिलास बाई आयु 30 वर्ष पुत्र/पुत्रियॉ श्री सेवा जाति गुर्जर निवासी बडून्दा ।
19. ज्गदीश आयु 40 वष।
20. भीमराज आयु 37 वर्ष
21. प्रभूलाल आयु 33 वर्ष पिसरान गंगाराम जाति गुर्जर निवासी बडून्दा ।
22. श्रीमती हंसा बाई आयु 35 वर्ष पुत्री श्री गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बडून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
23. धनराज आयु 21 वर्ष
24. कालूलाल आयु 18 वर्ष पिसरान मथुरा लाल आत्मज गंगाराम जाति गुर्जर निवासी बडून्दा।
25. बृजसुन्दर दाधीच आत्मज श्री श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी 483–बी– आर.के.पुरम कोटा ।
26. राजस्थान राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुनील दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 24.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.03.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा का पेश कर कथन किया कि ग्राम बडून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 134 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 152 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रतिवादी कम 1 व 2 के खाते अंकित है जबकि यह भूमि जागीर माफी की थी । उक्त भूमि को वादीगण उपकृषक की हैसियत से संवत् 2010 से निरन्तर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी जागीर माफी की थी जिसके वादीगण बहैसियत उपकृषक जोतते आने व बून्दी राज के बन्दोबस्त में वादीगण का नाम उपकृषक के स्थान पर अंकित होने व माफी रिज्यूम हो जाने के कारण वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार हो गये हैं ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के स्थान पर वादीगण का नाम खातेदार के स्थान पर अंकित किया जावे।

4. प्रतिवादी श्यामसुन्दर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जिसे वाद संख्या 130/12.04.1971 के साथ संलग्न किया जाना आदेशिका में अंकित किया गया है ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.1979 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.1979 के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 02.04.1983 के द्वारा अपील खारिज कर दी।

6. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.1983 से व्यथित होकर न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रिवीजन पेश की गई जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 28.04.1993 के द्वारा सहायक कलक्टर, बून्दी एंव न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.1983 को निरस्त करते हुए प्रकरण सहायक कलकटर, बून्दी को रिमाण्ड कर दिया ।

7. माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.1993 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2016 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 28.04.1993 की पालना नहीं करते हुए मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है । यह निर्विवाद तथ्य है कि सेवा का देहान्त दावे के दौरान हो गया था और उसके कोई कायममुकामान दौराने दावा नहीं बनाये गये थे इस कारण माननीय राजस्व मण्डल ने यह निर्देश दिये थे कि सेवा के देहान्त के कारण इसका दावे पर क्या असर होगा, यह देखा जावे अर्थात् अपीलान्ट का यह कथन था कि दावे के दौरान सेवा का देहान्त होने के कारण दावा स्वतः ही अबेट हो चुका है । इस कारण अबेटमेंट के आधार पर दावा खारिज किया जावे । अपीलान्ट को न तो सेवा के कायममुकामान के प्रार्थना पत्र की नकल दी न ही अपीलान्ट व उनके वकील से इस बाबत् कोई स्वीकृति दी । प्रकरण अन्य कायममुकामान की तलबी में चल रहा था अज्ञात कारणों से बिना अपीलान्ट को बताये उक्त दावा बहस में रख लिया एवं गुणवगुण के आधार पर सुने बिना ही दावा डिक्री कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 28.04.1993 की पालना नहीं करते हुए मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है। सेवा का देहान्त दावे के दौरान हो गया था उनके कायममुकामान दौराने दावा नहीं बनाये गये इस कारण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने निर्देश दिये थे कि सेवा के देहान्त के कारण इसका दावे पर क्या असर होगा । अपीलान्ट का यह कथन था कि दावे के दौरान सेवा का देहान्त हो जाने के कारण दावा स्वतः ही अबेट हो चुका है । वाद में अगर कोई प्रार्थना पत्र भी कायममुकामान का लगता है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पडता है । अपीलान्ट को न तो सेवा के कामयमुकामान के प्रार्थना पत्र की नकल दी न ही अपीलान्ट ने व उनके वकील ने इस बाबत् कोई स्वीकृति दी इसके उपरान्त भी यह निर्णित कर दिया कि सेवा के कायममुकामान बन गये हैं । इससे राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देश की पालना नहीं होती है । अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्णित करना था कि सेवा के कायममुकामान सही समय पर नहीं बनने के कारण दवा अबेट होने के कारण आगे चलने योग्य है अथवा खारिज होना चाहिए । प्रकरण अन्य कायममुकामान की तलबी में चल रहा था बिना अपीलान्ट को बताए बहस में रख दिया गया था और गुणावगुण पर सुनवाई किये बिना निर्णय पारित कर दिया गया । तनकीयात का निर्णय गलत पारित किया गया है । आराजी के खातेदार अपीलान्ट हैं रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की अनुमति से काबिज थे । इस कारण उनको धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते । अपीलान्ट बृजसुन्दर ने इसी आराजी के बाबत् बंटवारे एवं बेदखली का दावा पेश कर रखा है जो कायम मुकामान की तलबी में चल रहा था इस दावे को समेकित कर निर्णय पारित करना चाहिए था ऐसा नहीं कर एक ही दावे का निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा सेवा के कायममुकामान के लिए कोई सहमति नहीं दी गई थी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1962 (एससी) पेज 89, आरएलडब्ल्यू 1997 (1) राज0 पेज 377, आरएलडब्ल्यू 2001 (1) राज0 पेज 427, एआईआर 2005 राज0 पेज 06 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शमिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् रेस्पोडेन्टगण के द्वारा अधिकार घोषणा का दावा माननीय सहायक कलक्टर बून्दी में पेश किया था जिसे न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.07.1974 के द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित कर दिया था जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने सहायक कलक्टर, बून्दी के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया था कि पक्षकार सेवा की मृत्यु का वाद पर क्या असर पडता है इसका निर्धारण करते हुए पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित किया जावे । रेस्पोडेन्ट द्वारा खातेदारी अधिकार घोषणा का अनुतोष हेतु दावा पेश किया गया था । बाद में पत्रावली तालेडा में उपखण्ड अधिकारी खुल जाने से स्थान्तरित की गई । अपीलान्ट ने अपनी अपील में मुख्य तर्क यह दिया है कि पक्षकार सेवा का देहान्त हो जाने के कारण दावा स्वतः ही अबेट हो गया है परन्तु अपीलान्ट ने तथ्य को छुपाकर उक्त तथ्य अपील में लिखे हैं वास्तविकता यह है कि अधीनस्थ न्यायालय

की पत्रावली पर दिनांक 18.02.1927 को वादी क्रम 2 सेवा के कायममुकामान बनाये जाने के प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट एवं सभी अभिभाषकगण की मौजूदगी में कायममुकामान बनाये जाने पर अनापित्ति पेश की थी इसलिए सेवा के कायमुकामान बनाये जाने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया तथा स्वीकार किये जाने के पश्चात् नियमानुसार न्यायालय ने संशोधित वाद पत्र पेश करने के आदेश प्रदान किये थे । न्यायालय के आदेशानुसार रेस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 10.03.1997 को संशोधित वाद पेश किया गया था । सेवा के कायममुकामान बनाये जाने के प्रार्थना पत्र पर विपक्षी अभिभाषकगण द्वारा अनापत्ति पेश की गई थी इसलिए अब उस पर आपत्ति करने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है । आरआरडी 1962 पेज 185 यहॉ चस्पा होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात पर निर्णय विधि सम्मत रूप से किया है । रेस्पोडेन्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य से अपने दावे को सिद्ध किया है । राजस्थान कश्तकारी अधिनियम लागू हाते समय अपीलान्ट खातेदार नहीं थे वरन् माफीदार थे और वे रेस्पोडेन्ट से लगान वसूल करने की हैसियत रखते थे और रेस्पोडेन्ट ने लैण्ड होल्डर को लगान अदा किया था । अतः धारा 63 (6) के अन्तर्गत यह भूमि अपीलान्ट के खाते अंकित नहीं होकर धारा 19 के प्रावधान के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज होनी चाहिए । उक्त भूमि जागिरी माफी की थी संवत् 2010 से लगातार रेस्पोडेन्ट उपकृषक की हैसियत से काबिज हैं और जोता दर्ज हैं । माफी रिज्यूम होने पर रेस्पोडेन्ट कानूनन खातेदार बन चुके हैं । प्रदर्श– 2 व 3 रसीदें हैं जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णित किया है । अपीलान्ट यह प्रमाणित नहीं कर पाये हैं कि यह आराजी उनके द्वारा आधौली पर दी गई थी । सहखातेदार बृजसुन्दर के द्वारा एक दावा बंटवारा एवं बेदखली का प्रस्तुत किया था परन्तु वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज हो जाने से यह दावा स्वतः ही अबेट हो चुका है । वह दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है । बृजसुन्दर द्वारा प्रस्तुत दावे का विचाराधीन होने का कोई प्रमाण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त दावा विचाराधीन भी हो तो वह रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रभावहीन है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2016 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में खसरा गिरदावरी संवत् 2010–13 संलग्न है जिसके अनुसार संवत् 2010 में खसरा नम्बर 134 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा और खसरा नम्बर 152 की रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा में दर्ज है, कॉलम संख्या 5 में भूमि अधिकारी भोलानाथ पुत्र देवलाल और कॉलम संख्या 06 में गंगाराम पुत्र रामनारायण गुर्जर जोता दर्ज है। नकल जमाबन्दी सन् 1936–37 में खसरा नम्बर 134 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा नाम हांसिल लेने वाले कॉलम में भोलानाथ वल्द देवलाल का नाम दर्ज है और कॉलम संख्या 11 में मू0बि0क0 और शिकमी में रामनाथ वल्द देवलाल कौम गुर्जर जोता दर्ज है इस जमाबन्दी में खसरा नम्बर 152 का अंकन नहीं है । रसीद प्रदर्श 2 व 3 भी संलग्न हैं ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से बयान धन्नालाल पीडब्ल्यू–1, देवा पीडब्ल्यू–2, माधो पीडब्ल्यू–3 कराये गये हैं ।

14. प्रतिवादीगण की ओर से बयान श्यामसुन्दर डीडब्ल्यू–1, देवलाल डीडब्ल्यू–2 कराए गये हैं ।

15. अपीलान्ट के द्वारा अपील में मुख्य रूप ये यह आपत्ति की गई है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्देशों की पालना नहीं की गई है । सेवा का देहान्त से दावे पर क्या असर पडेगा, न्यायालय को यह यह देखना था । दौराने दावा सेवा का देहान्त हो जाने से दावा अबेट हो चुका है । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक के द्वारा कायममुकामान पर कोई स्वीकृत नहीं दी गई है । इस कम में पत्रावली का अवलोकन किया गया दिनांक 18.02.1997 की आदेशिका के अनुसार वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं कायममुकामान बनाने के प्रार्थना पत्र तीनों पर वकील प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं और आदेशिका में वकील वास्ते प्रतिवादी अंकित कर हस्ताक्षर भी किये गये हैं । इसके उपरान्त दिनांक 10.03.1997 को वकील वादी ने संशोधित दावा पेश किया है जिसमें सेवा के कायम मुकामान अंकित हैं जिसकी नकल प्रतिवादी को दी गई और यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी पूर्व का जवाबदावा रखना चाहता है और पत्रावली साक्ष्य वादी में दिनांक 10.04.1997 नियत की गई । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की इन दोनों आदेशिकाओं के अनुसार दिनांक 18.02.1997 को सेवा के कायममुकामान रिकॉर्ड पर लिये जा चुके हैं और इसमें वकील प्रतिवादी की अनापत्ति अंकित की गई है । यदि विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी अनापत्ति गलत दर्ज की गई है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस बाबत् प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए । अपील में इस बारे में आपत्ति नहीं की जा सकती ।

16. वादीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर संवत् 2010 में कब्जा होने के आधार पर धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार घोषणा की प्रार्थना की है । धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार वह व्यक्ति जिसका नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय चालू वार्षिक रजिस्टर मेंभूमि के खुदकाश्त में अभिधारी या उप अभिधारी के रूप में नाम दर्ज हो वो खातेदार हो जावेगा । इस प्रकार वादीगण को वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु संवत् 2012 के वार्षिक रजिस्टर की प्रमाणित प्रति पेश करनी चाहिए थी । वादीगण के द्वारा संवत् 2012 की नकल जमाबन्दी पेश नहीं की है । उनके द्वारा जो नकल जमाबन्दी सन् 1936–37 पेा की है उसमें खसरा नम्बर 134 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा में तो रामनाथ वल्द देवलाल गुर्जर का नाम कॉलम संख्या 11 में जोता के रूप में दर्ज है परन्तु दूसरे खसरा नम्बर 152 की जमाबन्दी की नकल पेश नहीं की गई है जो कि इस प्रकरण में निर्णय के लिए आवश्यक है । खसरा गिरदावरी की नकल का भी अवलोकन किया गया इसमें कॉलम संख्या 06 में गंगाराम पुत्र रामनाथ गुर्जर खसरा नम्बर 134 और 152 में जोता दर्शाया गया है और कॉलम संख्या 16 में खसरा नम्बर 134 में देवा, सेवा और गंगाराम को जोता दर्शाया गया है और खसरा नम्बर 152 में गंगाराम को जोता दर्शाया गया है । इस खसरा गिरदावरी की नकल से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि संवत् 2012 में दोनों वादग्रस्त आराजियात में उपकृषक सिर्फ गंगाराम पुत्र रामनाथ था अथवा देवा, सेवा और गंगाराम तीनों ही थे क्योंकि खसरा नम्बर 134 के कॉलम संख्या 06 में सिर्फ गंगाराम का नाम अंकित है और कॉलम संख्या 16 में तीनों का नाम अंकित है और खसरा नम्बर 152 के कॉलम संख्या 6 और कॉलम संख्या 16 दोनों में गंगाराम का ही नाम जोता के रूप में दर्ज है। धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हक घोषणा के लिए संवत् 2012 की दोनों वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 134 और 152 की जमाबन्दी का अवलोकन किया जाना आवश्यक है । इसके उपरान्त ही इस प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित किया जा सकता है । अतः न्यायहित में हम इस प्रकरण में यह उचित समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में संवत् 2012 की दोनों खसरा नम्बर 134 एवं 152 की नकल जमाबन्दी पेश की जावे ।

17. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट के द्वारा दौराने बहस यह कथन किया गया था कि उनका एक अन्य दावा बृजसुन्दर जो कि सहखातेदार हैं कि द्वारा बंटवारे एवं बेदखली का पेश किया गया है उसे समेकित किये बिना निर्णय पारित किया गया है । इस क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें पृष्ठ संख्या 5 और 6 में अंकित है कि पत्रावली के साथ अन्य प्रकरण विजयकृष्ण बनाम देवलाल जो कि इस प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 2 हैं के द्वारा वादीगण को बेदखल करने के लिए एक अन्य वाद पेश किया गया था जिसमें न्यायालय के द्वारा देवलाल के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 10 सीपीसी पूर्ववाद के निस्तारण तक स्थगित रखा गया है । पत्रावली के साथ एक अन्य दावे की पत्रावली श्यामसुन्दर बनाम देवलाल संलग्न है और इसकी आदेशिका दिनांक 07.02.1974 के अनुसार इस दावे को वाद संख्या 130 दायरा दिनांक 12.04.1971 के साथ संलग्न किया गया है । यदि प्रकरण संख्या 149/72 श्यामसुन्दर बनाम देवलाल को इसके साथ समेकित किया गया है तो उसका निर्णय भी इसके साथ किया जाना आवश्यक है ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 16 एवं 17 में किये गये विवेचन के अनुसार संवत् 2012 की दोनों वादग्रस्त आराजियात की जमाबन्दी की प्रतियाँ वादीगण से प्राप्त कर नये सिरे से पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । साथ ही एक अन्य दावा श्यामसुन्दर बनाम देवलाल जिसे इस पत्रावली के साथ संलग्न किया गया है । यदि उक्त दावे को इस दावे के साथ समेकित किया गया है तो उसका निर्णय भी इसके साथ किया जावे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

19. निर्णय आज दिनांक 24.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा